(183)

संख्या–742/XVIII(II)/2012–1(73)/2008

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 26 मार्च, 2012

विषय–मै0 सिम्ट्रोनिक्स सेमी कन्डक्टर, नई दिल्ली को ग्राम कुलचन्दी, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में औद्योगिक प्रयोजन हेतु 1.9160 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–143/18(2)/2012–1(73)/2008 दि0–16.2.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(2) का उल्लेख लिपिकीय त्रुटिवश हो गया है, जिसे निरसित समझा जाए। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तें बिन्दु सं0–10 को भी निरसित करते हुए उसके स्थान पर बिन्दु सं0–10 को निम्नवत पढ़ा जाएः–"भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं सम्बर्धन विभाग के कार्यालय पत्र सं0–1(10)/2001–एन0ई0आर0 दि0–7.1.2003 के संलग्नक 2 में दिए गए थ्रस्ट उद्योगों में कमांक 13 पर उल्लिखित Information and Communication Technology Industry, Computer hardware, Call Centers थ्रस्ट सेक्टर क्रियाकलापों में सम्मिलित है जिन पर घोषित औद्योगिक अस्थान/क्षेत्रों की अधिसूचित भूमि से बाहर भी भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज में प्रदत्त प्रभावी सुविधाओं का लाभ अर्हता/पात्रता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।" उक्त शासनादेश की अन्य शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगी तथा यह शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–742/समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवा योजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. निदेशक, सिम्ट्रोनिक्स सेमी कन्डक्टर, सी 41, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

1113UO LETTERS